<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारीः- **सुनील कुमार पंचोली,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रा० प० संख्याः- **383/2026 (CIS N. 414/2026)**

मोहित कनवा पुत्र प्रकाश चंद कनवा, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 27 रैगरों का मौहल्ला कस्बा उदयपुरवाटी, पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज०)

...प्रार्थी/अभियुक्त

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
बमुकदमा एफआईआर संख्या 127/2026 पुलिस थाना उदयपुरवाटी
<u>अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>
1 श्री विक्रम सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

<u>आदेश</u> **दिनांकः- 09.07.2026**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त मोहित कनवा की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 01.07.2026 को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण के तथ्यानुसार दिनांक 15.06.2026 को परिवादी हिमांशु ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना उदयपुरवाटी पर इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 14.06.2026 को रात्रि को उसकी मोटरसाइकिल उसके घर के सामने खड़ी थी। प्रातः उठकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। उसने अपने स्तर पर आस–पास काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। मोटरसाइकिल आरजे 18 जेएस 0553 है इत्यादि। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 127/2026 अंतर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 17.06.2026 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दो अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के अनुरूप ही तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसको प्रकरण में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की पूछताछ व बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रार्थी 17.06.2026 से

अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध किया गया।

5. उक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी की मोटरसाइकिल चोरी करने का धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में माल मशरूका बरामद हो चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त को और अधिक समयावधि तक अभिरक्षा में रखे जाने से किसी भी प्रयोजन की पूर्ति होना जाहिर नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मोहित कनवा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी की संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए की दो मोतबिर जमानतें और पचास हजार रूपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

7. न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

8. आदेश आज दिनांक **09.07.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.10 15:43:39 IST